शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
E ISSN 2320 – 0871
17 जनवरी 2024
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सम्पादकीय

न्यायालयों का व्यामोह

महात्मा गांधी

(यह चिंतन महात्मा गांधी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन की भूमिका तैयार करते समय यंग इंडिया में अभिव्यक्त किया था। आज भी इस चिंतन की प्रासंगिकता बनी हुई है)

न्यायालयों का वातावरण बहुत दूषित होता है। दोनों तरफ से झूठे गवाह पेश किए जाते हैं, जो पैसों या मित्रता के लिए अपनी आत्मा तक बेच देने को तैयार रहते हैं। लेकिन यह अदालतों का सबसे बुरा चेहरा नहीं है। उसकी सबसे बुरी सूरत यह है कि यह सरकार की सत्ता को बल देती है। इन्हें न्याय देने वाली संस्था माना जाता है और इसलिए न्यायालयों को राष्ट्र की स्वतंत्रता का रक्षक कहा जाता है। लेकिन जब ये किसी अन्यायी सरकार का समर्थन करती हैं तो ये स्वतंत्रता की अभिरक्षक नहीं, राष्ट्र की आत्मा का दलन करने वाली संस्थाएं बन जाती हैं। सारी दुनिया में इसका यही रूप देखने को मिलता है। कोई ऐसा न सोचे कि अंग्रेजों के बदले भारतीय न्यायाधीश या सरकारी वकील होने लगेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। न अंग्रेज स्वभाव से भ्रष्टाचारी हैं, न हर भारतीय फरिश्ता है। मैं जिस चीज की आलोचना कर रहा हूं, वह तो एक प्रणाली है। वैसे, अंग्रेजों के साथ मेरा कोई झगडा नहीं है। लेकिन अगर वह जो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है, भारत का वाइसराय बन जाए, तो मैं उसे अपनी श्रध्दा नहीं दे पाऊंगा। अगर वे यह पद स्वीकार कर लें तो मुझे यह भरोसा नहीं रह जाएगा कि वह ईमानदार रह सकते हैं। यही कारण है कि यह जानकर मुझे कोई संतोष नहीं हुआ कि लॉर्ड सिन्हा एक बहुत ऊंचे पद पर (बिहार-उडीसा के गवर्नर) नियुक्त किए गए हैं।

न्यायालयों का अंतिम लक्ष्य, ये जिस सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं उस सरकार की सत्ता को स्थायित्व प्रदान करता है। अपने न्यायालयों के बिना यह सरकार एक दिन में समाप्त हो जाएगी। मेरी योजना के अंतर्गत जब प्रत्येक भारतीय वकील वकालत बंद कर देगा, तब भी न्यायालयों के जरिये लोगों को अपने अधीन रखने की शक्ति सरकार में रहेगी। लेकिन तब वे न्यायालय हमें धोखा नहीं दे सकेंगे, इनकी नैतिक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपनी वकालत बंद करने वाला हर वकील न्यायालय की प्रतिष्ठा कमजोर करता है।

न्यायालयों के कारण लोगों को जो आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है, उस पर तो कोई विचार किया ही नहीं गया है। सबसे ज्यादा खर्च न्यायालयों पर किया जाता है। इंग्लैंड में कितना किया जाता है इसकी मुझे थोड़ी जानकारी है, भारत की खासी जानकारी है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में बहुत निकट की जानकारी है। जिस प्रणाली में एक वकील महीने-भर में पचास हजार से एक लाख रुपये तक कमाए, उस प्रणाली में अवश्य ही कोई बहुत बडी खामी होगी। कानूनी पेशा कोई सट्टेबाजी जैसा धंधा तो है नहीं, न उसे वैसा होना चाहिए।

हम सोचते हैं कि अंग्रेजों की बराबरी के दर्जे का वकील होने के लिए हमें भी उनकी तरह जानलेवा फीस लेनी चाहिए। वह दिन भारत के लिये बहुत बुरा होगा जब उसके मानदंड अंग्रेजों के अनुकरण से बनेंगे। उनका मानदंड व उनकी रुचियां भारतीय मिट्टी के सर्वथा अनुपयुक्त हैं।

जैसे-जैसे असहयोग की शक्ति बढ़ेगी, उसी अनुपात से सरकार का दमन भी बढ़ेगा। यदि दमन के बावजूद आंदोलन जीवित बना रहा तो समझना चाहिए कि सत्य की विजय का दिन समीप है। संसार में ऐसी कोई सरकार नहीं है, जो पूरे राष्ट्र के राष्ट्र को जेलखाने में डाल दे। उसे लोगों की मांग के आगे या तो झुकना पडता है या उसे राष्ट्र के योग्य शासन में सत्ता सौंपकर स्वयं हट जाना पडता है। सरकार के सामने विकल्प यही है कि या तो वह हमारे आंदोलन को तसलीम करे या बर्बरता से उसे दबाए। हमारे सामने भी यही विकल्प है कि या तो हम दमन के सामने झुक जाएं या उसके बावजूद अपना काम करते रहें। (यंग इंडिया, 6 और 20 अक्टूबर 1920)